भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 326

02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत उपाय

326. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बिहार सहित कई राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण फसलों के बड़े पैमाने पर हुई बर्बादी की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन बाढ़ प्रभावित राज्यों में कृषक समुदायों को हुए नुकसान का कोई सर्वेक्षण या आकलन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रभावित किसानों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत प्रभावित किसानों को वित्तीय प्रतिपूर्ति या लाभ प्रदान किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक बाढ़ प्रभावित राज्य में कुल संवितरित प्रतिपूर्ति राशि कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के द्वारा दौरा आधारित मूल्यांकन शामिल है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, मानसून 2025 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब,

उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू-कश्मीर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 11 अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आईएमसीटी की रिपोर्टों पर विचार किया जाता है।

राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) एवं (ङ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर क्रियान्वित की जाती है तथा इस योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई के पूर्व से लेकर फसलोपरान्त तक की सभी गैर-निवारणीय योग्य प्राकृतिक जोखिमों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र की उपज के आंकड़ों और प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र और राज्य सरकार की अपेक्षित हिस्सेदारी प्राप्त होने पर योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना सूत्र के आधार पर, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और बीमित किसान के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है। इन दावों के संबंध में किसानों को फसल क्षति की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि दावे क्षेत्र के आधार पर तय किए जाते हैं, इसलिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा बाढ़, सूखा, उच्च तापमान, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे नुकसान का कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया जाता है और दावा गणना सूत्र योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। यह योजना राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक होती है।

इस योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम चार्ज किया जाता है, लेकिन किसान को खरीफ मौसम के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए रबी मौसम के लिए बीमित राशि का 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम देना होता है। शेष बीमांकिक/बोली प्रीमियम को पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है, जहां इसे केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है और सरकार द्वारा फंड रूटिंग एजेंसी अर्थात भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सीधे बीमा कंपनियों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केवल बीमित किसानों को ही दावों का भुगतान किया जाता है। राज्यवार धनराशि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। बिहार सरकार इस योजना का कार्यान्वयन नहीं करती है।

ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाली क्षति तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरान्त होने वाली क्षति की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। किसानों को संबंधित बीमा कंपनी, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों/बैंकों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) या पीएमएफबीवाई ऐप आदि पर ऑनलाइन नुकसान की सूचना देना अपेक्षित है।

अनुबंध-I

वर्ष 2025-26 (दिनांक 27.11.2025 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित क्षति का विवरण

क्र.सं.	राज्य	मानव जीवन की क्षति (संख्या)	मवेशी की क्षति (सं.)	क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियाँ (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	आंध्र प्रदेश	554	994	3760	1.506
2	अरुणाचल प्रदेश	14	383	784	0.072
3	असम	35	14269	39841	0.41
4	बिहार	115	0	273	0
5	छत्तीसगढ़	63	395	2890	0.0068
6	गोवा	0	0	173	0
7	गुजरात	101	3352	13999	0
8	हरियाणा	06	26	2745	4.32
9	हिमाचल प्रदेश	190	3892	10389	0.32
10	झारखंड	06	16	159	0.0017
11	कर्नाटक	93	1391	17951	14.81
12	केरल	78	0	6225	0
13	मध्य प्रदेश	501	1906	6042	0
14	महाराष्ट्र	163	599	3598	75.42
15	मणिपुर	09	880	21377	0.039
16	मेघालय	20	39	1720	0.065
17	मिजोरम	07	03	04	0
18	नागालैंड	03	250	2684	0.0058
19	ओडिशा	03	517	2678	0.29
20	पंजाब	40	7167	14065	1.93
21	राजस्थान	74	71	52	0
22	सिक्किम	18	08	2022	8.11
23	तमिलनाडु	72	985	1423	0.29
24	तेलंगाना	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	43	07	8352	0
26	उत्तर प्रदेश	78	0	1211	2.22
27	उत्तराखंड	177	864	7212	0.0073
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार	0	0	11	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0
31	दादर और नगर हवेली	0	0	01	0
32	दिल्ली	0	0	0	0
33	जम्मू एवं कश्मीर	181	11693	8404	0.78
34	पुडुचेरी	0	0	13	0.001
	कुल	**2647**	**49711**	**180063**	**116.6046**

*गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार

*****